

UPAD010134632018



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1, इलाहाबाद।

पीठासीन अधिकारी— राम किशोर शुक्ल (एच.जे.एस.)

दांडिक अपील सं० 125 सन् 2018

अनिल सिंह पुत्र स्व० राम लखन सिंह निवासी ग्राम कोड़सर, थाना थरवई, जनपद
इलाहाबाद। अपीलार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

..... प्रत्यर्थी

निर्णय

यह दांडिक अपील धारा 374 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, इलाहाबाद, द्वारा दांडिक वाद संख्या 1009/2007, राज्य प्रति अनिल सिंह, अन्तर्गत धारा 504, 506 भा० दं० सं०, अपराध सं० 148/2009, थाना थरवई, जनपद इलाहाबाद से सम्बंधित अपराध में पारित निर्णय दिनांकित 20.09.2018 के विरुद्ध योजित की गयी है। आलोच्य निर्णय के अनुसार अपीलार्थी अनिल सिंह को धारा 504 भा० दं० सं० के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध कर धारा 504 भा० दं० सं० के अधीन दण्डनीय अपराध में एक वर्ष के साधारण कारावास तथा अंकन एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से व धारा 506 भा० दं० सं० के अधीन दण्डनीय अपराध में एक वर्ष के साधारण कारावास व अंकन एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अपीलार्थी को एक माह के अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतने का आदेश भी पारित किया गया है।

इस दांडिक अपील से सम्बंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा लीलावती (पी०डब्लू०-1) निवासिनी कोड़सर, थाना थरवई, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15.07.2007 को थाना थरवई पर इन कथनों के साथ प्रथमसूचना रिपोर्ट/लिखित तहरीर (प्रदर्श क-1) प्रस्तुत की कि आज दिनांक 15.07.2007 को अपने मु० अ० सं० 283/2004 धारा 323, 504, 506 भा०दं० सं० जो मुकदमा नं० 4050/2005 विचाराधीन न्यायालय, इलाहाबाद है। उक्त मुकदमें के गवाह सुन्दरी देवी पत्नी हरिमोहन के पास गवाही को बुलाने गयी थी। जब वह वापस आ रही थी कि समय करीब 8.00 बजे सुबह शौच वास्ते आये अनिल सिंह पुत्र लखन सिंह

निवासी कोड़सर, थाना थरवई, इलाहाबाद उसे गाली, गुप्ता देने लगे कि अगर वह मुकदमें की पैरबी करेगी तो उसे व उसके गवाहों को जान से मार देगे। अनिल उपरोक्त जबरदस्त एवं शोरे पुष्ट व्यक्ति है। उससे जबरन मुकदमें में सुलह करवाना चाहता है। उसे व उसके गवाहों को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है।

वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर (प्रदर्श क-1) के आधार पर थाना थरवई, इलाहाबाद पर दिनांक 15.07.2007 को समय 13.00 बजे कां० मु० धर्मराज द्वारा अभियुक्त अनिल सिंह के विरुद्ध धारा 504, 506 भा० दं० सं०, अपराध सं० 148/2007 के अधीन दण्डनीय अपराध में मुकदमा पंजीकृत कर चिक प्रथमसूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) किता की, जिसका खुलासा थाने की रपट सं० 17 समय 13.00 बजे दिनांकित दिनांकित 15.07.2007 (प्रदर्श क-3) में किया गया ।

विवेचना उपनिरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह चौहान (पी०डब्लू०-3) को सुपुर्द हुई। विवेचक द्वारा घटना का निरीक्षण करके नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-4) तैयार किया गया तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 504, 506 भा० दं० सं० के अधीन दण्डनीय अपराध में आरोपपत्र (प्रदर्श क-5) प्रेषित किया।

अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त अनिल सिंह के विरुद्ध दिनांक 07.03.2013 को धारा 504, 506 भा० दं० सं० के अधीन दण्डनीय अपराध में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार करते हुए विचारण की याचना की।

अभियोजन पक्ष की ओर से अवर न्यायालय के समक्ष कुल तीन साक्षीगण परीक्षित कराये गये, जिनमें से लीलावती पत्नी पप्पू (पी०डब्लू०-1) पीड़िता/तथ्य के साक्षी, धर्मराज प्रथमसूचना रिपोर्ट " प्रदर्शक-2" व जी०डी० "प्रदर्श क-3" के लेखक व देवेन्द्र सिंह "पी०डब्लू०-3" प्रस्तुत मामले के विवेचक/ औपचारिक साक्षी हैं।

अवर न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी लीलावती (पी०डब्लू०-1) ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया कि घटना दिनांक 15.07.2007 को समय 8.00 बजे सुबह की है। पुराने मुकदमें के सम्बंध मे गांव में सुन्दरी देवी के घर मुकदमें के गवाही के बारे में बताने गयी थी। सुन्दरी देवी गांव में मिली थी। उसे मुकदमें के बारे में बताया कि तुम को गवाही देना है। वहां से लौटते समय सुबह के 8.00 बज रहे थे। अनिल सिंह शौच के लिए आया हुआ था उसे मिला तो उसने भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए कहा कि मुकदमें की पैरवी छोड़ दो, तुमको एक बार मारा था

दुबारा तुमको व तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। इतना कहकर वह चला गया। वह फिर थाने गयी और एक तहरीर गांव के एक आदमी से लिखाकर थाने पर दिया था जो प्रदर्श क-1 है। दरोगा जी ने उका बयान लिया था फिर उसके साथ मौके पर आये थे और मौका मुआइना किया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

धर्मराज "पी0डब्लू0-2" ने कहा कि उसने अ0सं0 148/2007 धारा 504, 506 भा0दं0 सं0 वादिनी मुकदमा लीलावती की लिखित तहरीर के आधार पर एफ.आई.आर. प्रदर्श क-2, प्रमाणित कार्बन प्रति जी.डी. प्रदर्श क-3 को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किये जाने के कथन के साथ साबित किया है।

अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह (पी0डब्लू0-3) इस मामले के विवेचक है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि वह थाना थरवई में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। वादिनी लीलावती के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचना उसे थानाध्यक्ष के आदेश से मिली। साक्षी ने अपने विवेचना की कृत कार्यवाही को साबित करते हुए घटनास्थल का नक्शा-नजरी "प्रदर्श क-4" व विवेचनोपरान्त अभियुक्त अनिल सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र " प्रदर्श क-5" अपने लेख व हस्ताक्षर में होने के कथन के साथ साबित किया है।

अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक से इन्कार करते हुए अभियोजन साक्षीगण द्वारा झूठी गवाही देने का कथन करते हुए अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित किया गया है।

आलोच्य निर्णय दिनांकित 20.09.2018 के विरुद्ध यह अपील इन आधारों पर योजित की गयी है कि अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 504 व 506 भा0दं0 सं0 में क्रमशः एक-एक वर्ष का साधारण कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड का आदेश पारित करते हुए उपरोक्त अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता के पक्ष में देने का आदेश दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा कहा गया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित सिद्धदोष आदेश न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरुद्ध पारित किया गया। अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा तथ्य को न देखते हुए और बिना पर्याप्त साक्ष्य

के अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है। अवर न्यायालय ने एक मात्र अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया है। अपीलार्थी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होना व उसका उक्त अपराध में संलिप्तता न होने पर भी दोषसिद्ध किया गया है। अपीलार्थी के विरुद्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया और मात्र एक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर उसे दोषसिद्ध किया गया है। उपरोक्त दांडिक वाद पूर्णतया गलत व काल्पनिक है और कोई ऐसा साक्ष्य सजा देने के लिए पत्रावली पर न होते हुए भी दंडित किया गया है। वादिनी मुकदमा के बयान में विरोधाभास होने के बावजूद भी अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। अतः दांडिक अपील स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी।

अपीलीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से सूची 20ख से न्यायिक मजि0 प्रथम, इलाहाबाद द्वारा परिवाद सं0 535/2010 लीलावती बनाम नन्द लाल आदि में पारित आदेश दिनांक 25.09.2017 की सत्य प्रतिलिपि 20ख/2 लगायत 20ख/3, उपरोक्त परिवाद के परिवादपत्र की सत्य प्रतिलिपि कागज सं0 20ख/4 लगायत 20ख/7 प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रत्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, मात्र मौखिक आपत्ति की गई।

अपीलार्थी/दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

अपीलार्थी की ओर से विधि व्यवस्था **जरनैल सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य 2009(64) ए.सी.सी. 989 सुप्रीमकोर्ट व बट्टी बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1976 सुप्रीमकोर्ट 560** में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त संदर्भित करते हुए तर्क किया कि वादिनी की एक मात्र तथ्यात्मक साक्ष्य के आधार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित नहीं है क्योंकि—

- वादिनी मामले की हितबद्ध साक्षी है
- वादिनी की साक्ष्य का सम्पोषण किसी अन्य साक्ष्य से नहीं है।
- वादिनी व अभियुक्त के बीच चुनाव की रंजिश होने के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है।
- गाली व जान से मारने की धमकी के विशिष्ट शब्द तहरीर/प्रथमसूचना रिपोर्ट व वादिनी के बयान में नहीं है।

—महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर वादिनी के बयान में विरोधाभास है, जैसे अभियुक्त को तहरीर में शौच जाते समय घटना कारित करना कहा अर्थात् शौच के लिए जाने पर लोटा, डिब्बा आदि होना स्वाभाविक है कि जिरह में कहा है कि अभियुक्त के हाथ में घटना के समय कुछ नहीं था।

—मामले में विवेचक ने वस्तुतः कोई विवेचना नहीं की केवल तहरीर के आधार पर मात्र वादिनी का बयान लिखकर आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया है। उसने स्वीकार किया है कि कथित सुन्दरी देवी जिसके पास से होकर आते समय वादिनी ने अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना कहा है, का भी बयान नहीं लिया।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता “फौजदारी” व वादिनी के निजी विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्नगत निर्णय को विधिपूर्ण व वादिनी की विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित बताया तथा कहा वादी व अभियुक्त/अपीलार्थी के बीच कोई चुनावी रंजिश नहीं है, वादिनी ने अपने सशपथ बयान से अपनी तहरीर व प्रथमसूचना रिपोर्ट का पूर्ण समर्थन किया है। छोटी-मोटी भिन्नता साक्षी के बयान में होना स्वाभाविक है। वादिनी के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट शब्द वादिनी ने अपने सशपथ बयान में कहा है। वादिनी की साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है। अतः अभियुक्त की अपील खारिज की जावे।

उभयपक्षों द्वारा किये गये तर्कों संदर्भित विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से सुस्पष्ट है कि वादिनी प्रस्तुत मामले में एकल साक्षी है। यद्यपि मामले में अभियोजन द्वारा तीन साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, किन्तु पी0डब्लू0-1 लीलावती वादिनी के अतिरिक्त परीक्षित पी0डब्लू0-2 उपनिरीक्षक धर्मराज प्रस्तुत मामले की चिक एफ.आई.आर. व जी.डी. कायमी मुकदमा क्रमशः प्रदर्श क-2 व प्रदर्श क-3 के लेखक हैं एवं पूर्णतः औपचारिक प्रकृति का साक्षी है तथा पी0डब्लू0-3 उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह मामले का विवेचक है, जो भी औपचारिक साक्षी है, किन्तु इस साक्षी ने वादिनी द्वारा कायम कराये गये मामले की विवेचना कर प्रथमसूचना रिपोर्ट के तथ्यों को सही पाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-5 न्यायालय में प्रेषित किया है। इसने दौरान विवेचना वादिनी व समई साक्षी दिनेश कुमार का बयान लिया था एवं घटना का निरीक्षण कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोपपत्र प्रेषित किया है। इसने कहा

है कि वादिनी ने जो उसे बताया था वही लिखा था। आगे कहा है कि वादिनी ने ठीक-ठीक वैसे शब्द "साली चमाइन मादर चोद अपने मुकदमें की पैरवी छोड़ दो" नहीं कहे किन्तु गन्दी-गन्दी गालियां देना और मुकदमा उठाने की धमकी देना पत्रावली में है। इस प्रकार वादिनी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा में किये गये इस कथन का कि "साली चमाइन मादर चोद अपने मुकदमें की पैरवी छोड़ दो नहीं तो तुम्हें एक बार मारा था दुबारा अगर मारेगे तो बन्दूक की नाल तुम्हारे बुर में डालकर मारेगे व तुम्हारे परिवार सहित खत्म कर देंगे।" का समर्थन होता है।

मामले में वादिनी एक मात्र साक्षी है। उसने अपनी तहरीर में किये गये कथनों का समर्थन अपनी मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा में किया है। उसकी प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा तात्विक तथ्य नहीं आया है जो उसके कथन को अविश्वसनीय बनाये। वादिनी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में घटना सुन्दरी के घर से आते समय घटित होना कहा है, किन्तु प्रतिपरीक्षा में घटना के बाद वह सुन्दरी से तुरन्त मिलना कहा है। सुन्दरी को मामले में गवाह नहीं बनाया गया है न ही न्यायालय में पेश किया गया है। इस सम्बंध में विवेचक ने भी सुन्दरी का बयान न लेना कहा है। वादिनी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि जिस समय का झगड़ा है उस समय उसके व अनिल के अतिरिक्त और कोई नहीं था। इस प्रकार मामले में वादिनी एकल साक्षी है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई तथ्यात्मक साक्षी है ही नहीं।।

अब प्रश्न है कि क्या वादिनी ने यह मुकदमा चुनावी रंजिशबश अभियुक्त को झूठा फंसाने के लिए लिखाया है। उपलब्ध साक्ष्य से सुस्पष्ट है कि वादिनी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह व नन्द लाल प्रधानी का चुनाव लड़े थे। चुनाव वह हार गयी थी व नन्द लाल जीत गये थे। प्रधान का चुनाव चौदह लोग हारे थे वह भी हारी थी। अनिल सिंह, नन्द लाल की कन्वेसिंग कर रहे थे या नहीं(उसे नहीं मालूम)। यह कहना गलत है कि प्रधानी का चुनाव से वह अनिल से रंजिश रखने लगी। वह बी.डी.सी. का चुनाव लड़ी थी। यह कहना गलत है कि अनिल सिंह उसका विरोध करता था। इस कारण वह उससे रंजिश रखती थी। इस प्रकार सुस्पष्ट है कि अनिल सिंह, वादिनी लीलावती का चुनावी प्रतिद्वंदी नहीं था। अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्षी इस सम्बंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वादिनी व अनिल सिंह के बीच कोई चुनावी रंजिश थी, न ही अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में वादिनी से चुनावी रंजिश होने के बावत कोई कथन किया है। अतः चुनावी रंजिश के कारण वादिनी द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाये जाने सम्बंधी तर्क मानने योग्य नहीं है।

यद्यपि तर्क नहीं किया गया किन्तु प्रतिपरीक्षा में किये गये वादिनी के कथन से स्पष्ट है कि वादिनी के हैण्डपम्प के पानी के बहने से अनिल सिंह की बगिया सूखने व बगीचा कब्जा करने आदि के प्रश्न भी वादिनी से किये गये हैं, जिनका वादिनी ने खण्डन किया है।

वादिनी के सशपथ बयान में न तो कोई विरोधाभास है न ही किसी प्रकार की संदिग्धता व असत्यता दर्शित होती है। वादिनी का बयान पूर्णतः विश्वसनीय व सत्य होना पाया जाता है। संदर्भित विधि व्यवस्था में यह प्रतिपादित है कि साक्षी की संख्या नहीं अपितु गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, मात्र एक विश्वसनीय साक्षी की साक्ष्य के आधार पर हत्या जैसे गम्भीर मामले में दोषसिद्धि की जा सकती है, जब कि अनेक साक्षीगण की अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर साधारण उपहति के मामले में भी दोषसिद्धि करना सम्भव नहीं होता है। प्रस्तुत मामले में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रश्नगत निर्णय पारित किया है, जो कि पुष्ट किये जाने योग्य हैं एवं दांडिक अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस के दौरान बचावपक्ष की ओर से जरिये कागजात सूची 20ख परिवाद सं० 535/2010 लीलावती बनाम नन्द लाल आदि न्यायिक जे० एम० प्रथम, इलाहाबाद में पारित तलवी आदेश दिनांक 25.09.2017 व परिवाद पत्र की सत्य प्रति किसी भी रूप में अभियुक्त की सहायता नहीं कर सकते हैं।

आदेश

अपील निरस्त की जाती है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, इलाहाबाद द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय फौजदारी वाद सं० 1009/2007 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिल सिंह अपराध संख्या 148/2009, धारा 504, 506 भा० दं० सं०, थाना थरवई, जनपद इलाहाबाद में दिनांक 20.09.2018 को पारित आदेश पुष्ट किया जाता है।

अभियुक्त अनिल सिंह को अभिरक्षा में लेकर दण्डादिष्ट सजा भुगतने हेतु सम्बंधित विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, इलाहाबाद के समक्ष विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली व निर्णय की एक प्रति के साथ अविलम्ब प्रस्तुत किया जाय।

दिनांक 26.02.2021

(राम किशोर शुक्ल)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1,
इलाहाबाद।
(आई०डी०नं०—UP-5741)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित हो करके खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांक 26.02.2021
वी.सी.मिश्र

(राम किशोर शुक्ल)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1,
इलाहाबाद ।
(आई0डी0नं0-UP-5741)